(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1449–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल, प्रकरण कमांक 3/अ–70/2013–14.

.....

1–मीना बाई पति किशन
2–लोकेश पिता किशन
3–किशन पिता जुग्गा
सभी निवासीगण कोसमी तहसील व
जिला बैतूल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मंगो बेवा छोटेलाल
2–कैलाश वल्द छोटेलाल
3–सावित्री पुत्री छोटेलाल
4–रजनी पुत्री छोटेलाल
5–सुशीला पुत्री छोटेलाल
6–हीरासिंह वल्द भिकारी
7–बसन्तीबाई विधवा बाबूलाल
8–इमरत वल्द बाबूलाल
9–दीनू वल्द बाबूलाल
10–रामकिशोर वल्द बाबूलाल
11–फूलवती पुत्री बाबूलाल
12–कलावती बाई पुत्री बाबूलाल
सभी निवासीगण कोसमी तहसील व
जिला बैतूल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण की ओर से नायब तहसीलदार न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम कोसमी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 45/1, 91/1, 103 कुल रकबा 3.737 हेक्टेयर पर आवेदकगण द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–70/2013–14 दर्ज कर दिनांक 5–6–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मान्य कर आवेदकगण को आदेशित किया गया कि वे उपरोक्त भूमि का आधिपत्य एक साप्ताह में अनावेदकगण को सौंपे । साथ ही संहिता की धारा 250(4) के अन्तर्गत तीनों आवेदक प्रत्येक 20,000/– का बंधपत्र निष्पादन करें कि प्रकरण के निराकरण तक अनावेदकगण के कब्जे में दखलअंदाजी नहीं करेंगे । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश आरबीट्रेरी होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन को स्वीकार कर अनावेदकगण को पूरी सहायता प्रदान कर दी है जो विधि विरूद्ध है । तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में खेती की भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाने में विधि की भूल की है तथा आवेदकगण पर 20– 20 हजार रुपये के बंधपत्र निष्पादन के आदेश में भी त्रुटि की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखी जाकर आवेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।**

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 250(3) में अंतरिम आदेश पारित करने के

लिये यह आवश्यक शर्त है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन भूमि से 6 माह पूर्व बेकब्जा किया गया हो, तहसीलदार द्वारा प्रथमदृष्टया इस तथ्य की पुष्टि नहीं की गई है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 6 माह पूर्व आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक कमांक 1 को बेकब्जा किया गया हो । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी पक्षों को सूचना दी जाकर उनके साक्ष्य लेकर प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर